रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2008/श्रावण 10, 1930
No. 425] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2008/SRAVANA 10, 1930

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2008

सा.का.नि 568(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 76 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2008 है ।

(2) ये 1 मई, 2008 को या विधि अधिकारी की नियुक्ति की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1987 के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 7. प्रतिधारण, फीस और भत्ते – नियम 5 में उल्लिखित कर्तव्यों के पालन के लिए विधि अधिकारी को निम्नलिखित का संदाय किया जाएगा –

(क) उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान के सिवाय, निम्नलिखित प्रतिधारण, –

(i) महान्यायवादी की दशा में, पचास हजार रुपए प्रतिमास ;

(ii) महासालिस्टर की दशा में, चालीस हजार रुपए प्रतिमास ; और

(iii) अपर महासालिस्टर की दशा में, तीस हजार रुपए प्रतिमास

(ख) भारत सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय , विभिन्न उच्च न्यायालयों, जांच आयोग या अधिकरणों और इसी प्रकार के अन्य के समक्ष उपसंजात होने और अन्य कार्य के लिए फीस निम्नलिखित मापमानों पर होगी, अर्थात् :-

क्रम सं0	कार्य की मद का नाम	उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों (जिसके अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय भी है) और किसी न्यायालय (उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से भिन्न) या अधिकरण या जांच आयोग अथवा किसी मध्यस्थ के समक्ष मामलों में उपसंजात होने और अन्य कार्य के लिए संदेय फीस की दरें
(1)	(2)	(3)
(i)	वाद, रिट याचिकाएं, अपीलें और अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश	प्रतिदिन प्रति मामला 16000/- रुपए
(ii)	विशेष इजाजत याचिकाएं और अन्य आवेदन	प्रतिदिन प्रतिमामला 10000/- रुपए
(iii)	अभिवाचनों को तय करना (जिसके अंतर्गत शपथपत्र भी है)।	प्रति अभिवचन 5000/- रुपए
(iv)	मामले के कथन को तय करना	प्रतिमामला 6000/- रुपए
(v)	विधि मंत्रालय द्वारा भेजे गए मामलों के कथनों में राय देने के लिए	प्रतिमामला 10000/- रुपए
(vi)	उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जांच आयोगों या अधिकरणों और इसी प्रकार के अन्य के समक्ष लिखित निवेदन के लिए	प्रतिमामला 10000/- रुपए
(vii)	दिल्ली से बाहर न्यायालयों में उपसंजात होने के लिए	प्रतिदिन प्रतिमामला 40000/- रुपए

स्पष्टीकरण :- यदि सारतः समान प्रश्न अंतर्वलित होने वाले दो या अधिक मामलों में समान अभिवचनों के साथ सुनवाई की जाती है तो विधि अधिकारी केवल एक फीस का ही हकदार होगा, जैसा कि एक मामले के लिए होता है ।

(ग) महान्यायवादी को उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान के सिवाय, प्रतिमास चार हजार रुपए के सत्कार भत्ते का संदाय किया जाएगा ।

(घ) जहां किसी विधि अधिकारी से अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में मुख्यालय से बाहर यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है, वहां उसे यात्रा पर और भोजन तथा आवास पर उपगत वास्तविक व्यय का संदाय किया जाएगा या उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

(ङ) यदि किसी विधि अधिकारी से, उन कर्तव्यों से भिन्न , जो नियम 5 में निर्दिष्ट हैं किसी कर्तव्य का पालन करने को कहा जाता है जैसे, मध्यस्थ के रूप में कार्य करना या दोनों पक्षों को, जिनमें से एक पक्षकार भारत सरकार है, सुनने के पश्चात् राय देना, तो उसे ऐसी फीस का संदाय किया जाएगा, जो सरकार द्वारा अवधारित की जाए" ।

[फा. सं. 18(1)/98-न्याय]

एम. ए. खान यूसुफी, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1), तारीख 1 जनवरी 1987 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1(अ), तारीख 1 जनवरी 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसमें निम्नलिखित द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए—

i. सा.का.नि.सं0 379(अ) तारीख 14 अप्रैल, 1987
ii. सा.का.नि.सं0 473(अ) तारीख 22 जून, 1993
iii. सा.का.नि.सं0 403(अ) तारीख 2 जून, 1999
iv. सा.का.नि.सं0 345(अ) तारीख 10 मई, 2001
v. सा.का.नि.सं0 106(अ) तारीख 25 फरवरी, 2005
vi. सा.का.नि.सं0 724(अ) तारीख 16 दिसंबर, 2005

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2008

G.S.R. 568(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with article 76 of the *Constitution*, the President hereby makes the following rules further to amend the Law Officers (Conditions of Service) Rules, 1987, namely:-

1. (1) These rules may be called the Law Officers (Conditions of Service) Amendment Rules, 2008.
   (2) They shall be deemed to have come into force on the first day of May 2008 or from the date of appointment of the Law Officer, whichever is later.

2. In the Law Officers (Conditions of Service) Rules, 1987, for rule 7, the following rule shall be substituted namely:-

"7. Retainer, fee and allowances.- For the performance of the duties mentioned in Rule 5, a Law Officer shall be paid-

(a) a retainer, except during the period of his leave,-

(i) in the case of the Attorney General, of rupees fifty thousand per month;
(ii) in the case of the Solicitor-General, of rupees forty thousand per month; and
(iii)in the case of Additional Solicitor General , of rupees thirty thousand per month;

(b) a fee for appearance and other work on behalf of the Government of India in cases before the Supreme Court, various High Courts, Commissions of Inquiry or Tribunals and the like on the following scales, namely :-

Sl. No.	Nomenclature of the item of work	Rates of fees payable for appearance and other work in cases before the Supreme Court, High Courts (including Delhi High Court) and any Court (other than the Supreme Court or High Court) or a Tribunal or a Commission of Inquiry or an Arbitrator
1	2	3
(i)	Suits, writ petitions, appeals and references under article 143	Rs. 16,000/- per case per day
(ii)	Special leave petitions and other applications	Rs. 10,000/- per case per day
(iii)	Settling pleadings (including affidavits)	Rs. 5,000/- per pleading
(iv)	Settling Statement of Case	Rs. 6,000/- per case
(v)	For giving opinions in statements of cases sent by the Ministry of Law	Rs. 10,000/- per case
(vi)	For written submission before the Supreme Court, High Court, and Commissions of Inquiry or Tribunals and the like	Rs. 10,000/- per case
(vii)	Appearance in Courts outside Delhi	Rs. 40,000/- per day per case.

Explanation:- If two or more cases involving substantially identical questions are heard together with common arguments, Law Officer shall be entitled to only one fee as for a single case.

(c) The Attorney General shall be paid sumptuary allowance of rupees four thousand per month, except during the period of his leave;

(d) Where a Law Officer is required to perform journeys outside the headquarters in the course of his duties, he shall be paid or reimbursed the actual expenses incurred on travelling and on boarding and lodging; and

(e) If a Law Officer is called upon to perform any duty other than those referred to in rule 5, such as, acting as Arbitrator or giving opinion after hearing both the sides, one being the Government of India, he shall be paid such fee as may be determined by the Government".

[F. No. 18(1)/98-Judl.]

M. A. KHAN YUSUFI, Jt. Secy. and Legal Adviser

Foot Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (I), dated the 1st January, 1987 vide Notification No. GSR 1(E) dated the 1st January, 1987 and have been subsequently amended by

i. GSR No. 379(E) dated the 14th April, 1987
ii. GSR 473 (E) dated 22nd June 1993.
iii. G.S.R. 403 (E) dated 2nd June 1999.
iv. G.S.R 345 (E) dated 10th May 2001
v. G.S.R. 106 (E) dated 25th February 2005.
vi. GSR 724(E) dated 16th December 2005.

2904 GI/08-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.